

क्रमांक:—न.निरी.04(02)विविध/अभि/2018/

दिनांक:—

—:: आदेश ::—

श्रीमान् शासन सचिव गृह (ग्रुप-10) विभाग के आदेश क्रमांक न.निरी.04(02)/विविध/अभि/18/173 दिनांक 07.02.2024 के द्वारा अभियोजन निदेशालय के नियंत्रणाधीन विभागीय अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण हेतु मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं। उक्त आदेश की अनुपालना में अभियोजन निदेशालय द्वारा जारी पूर्व आदेशों को अतिलघित करते हुए विभाग के अधिकारियों द्वारा किये जाने वाले निरीक्षणों के निम्नानुसार मापदण्ड निर्धारित किये जाते हैं:—

क्र.स.	अतिरिक्त निदे.अभि./ संयुक्त निदे.अभि.	निर्धारित लक्ष्य Ad.DP/JDP	उपनिदेशक अभियोजन	कार्यालय				निर्धारित लक्ष्य DDP
				सनअ	वि.लो.अ./अ.लो. अ.	पीओ	एपीओ	
1	अति.निदेशक अभियोजन (न्याय)	18	
2	अति.निदेशक अभियोजन (अभि.)	18	
3	संयुक्त निदेशक अभियोजन (सर्तकता)	36	
4	संयुक्त निदेशक अभियोजन अजमेर	111	अजमेर	02	03	12	25	81
			भीलवाडा	00	01	10	17	57
			नागौर	00	00	10	09	40
			टोंक	00	00	06	11	36
	योग		04	02	04	38	62	214
5	संयुक्त निदेशक अभियोजन भरतपुर	79	भरतपुर	02	02	14	14	62
			करौली	00	00	04	09	28
			सवाईमाधोपुर	00	01	04	09	29
			धौलपुर	00	00	05	10	32
	योग		04	02	03	27	42	151
6	संयुक्त निदेशक अभियोजन बीकानेर	82	बीकानेर	02	01	09	12	47
			चुरू	00	01	05	08	29
			श्रीगंगानगर	00	01	11	11	47
			हनुमानगढ	00	00	08	08	34
	योग		04	02	03	33	39	157
7	संयुक्त निदेशक अभियोजन जयपुर शहर प्रथम	162	जयपुर प्रथम	01	06	19	35	117
			जयपुर द्वितीय	02	04	11	49	128
			जयपुर देहात	00	03	11	17	61
	योग		03	03	13	41	101	306
8	संयुक्त निदेशक अभियोजन जयपुर द्वितीय	115	अलवर	00	02	12	18	64
			भिवाडी	00	00	10	10	42
			दौसा	00	00	08	07	32
			झुंझुनू	00	01	06	09	33
			सीकर	00	03	10	13	51
	योग		05	00	06	46	57	222

9	संयुक्त निदेशक अभियोजन जोधपुर	121	जोधपुर	02	03	18	23	89
			बाडमेर	00	00	07	10	36
			जालौर	00	02	05	06	26
			पाली	00	01	07	16	49
			सिरोही	00	01	03	05	19
			जैसलमेर	00	00	02	03	12
			योग		06	02	07	42
10	संयुक्त निदेशक अभियोजन कोटा	88	कोटा	02	04	11	18	66
			बांरा	00	01	08	06	31
			बून्दी	00	02	05	11	36
			झालावाड	00	01	08	06	31
			योग		04	02	08	32
11	संयुक्त निदेशक अभियोजन उदयपुर	102	उदयपुर	01	02	11	14	55
			बांसवाडा	00	00	04	07	24
			चित्तौड़गढ़	00	02	10	11	46
			डुंगरपुर	00	00	03	06	20
			प्रतापगढ़	00	01	05	03	19
			राजसमन्द	00	01	06	08	31
			योग		06	01	06	39
योग		36	14	50	298	454	1640	

- नोट:-** 1. विधि परामर्शी (सनिअ) के कार्यालयों का किसी भी स्तर पर अग्रिम आदेशों तक कोई निरीक्षण नहीं किया जावेगा।
2. नव सृजित न्यायालयों के सृजन के पश्चात् निरीक्षण के लक्ष्य स्वतः ही बढ जावेंगें।

(रवि शर्मा)
निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव, निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
2. अतिरिक्त निदेशक अभियोजन (न्याय/अभि), राज.जयपुर।
3. समस्त संयुक्त निदेशक अभियोजन(सतर्कता/संभागीय), राजस्थान जयपुर।
4. समस्त उप निदेशक अभियोजन, राजस्थान जयपुर।
5. समस्त सहायक निदेशक अभियोजक, राजस्थान जयपुर।
6. समस्त विशिष्ट/अपर लोक अभियोजक को संबंधित संयुक्त निदेशक अभियोजन के माध्यम से। सूचना सहायक अभियोजन निदेशालय, जयपुर को निर्देशित किया जाता है कि निरीक्षण के लक्ष्यों को वेबसाइट एवं राजस्थान सम्पर्क पोर्टल पर अपलोड करें।

निदेशक अभियोजन
राजस्थान जयपुर।